राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/2020 जयपुर, दिनांक 28.11.2022

समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक,
जिला एवं सेशन न्यायालय
राजस्थान।

विषयः— **बाल न्यायालय के रूप में विनिदिष्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आरोप पत्रों में अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट(Briefs) तैयार करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई हेतु आरम्भिक अधिकारिता (Original Jurisdiction) प्राप्त होने के कारण इन न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट (Briefs) तैयार करने हेतु इन न्यायालयों में पैरवीरत लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

ह0
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशेषाधिकारी(जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण।
4. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
6. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

28/11/22
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि